



# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : [www.lsba.bih.nic.in](http://www.lsba.bih.nic.in)  
BRLPS-LSBA/Accts/60/18/\_\_\_\_\_ दिनांक :

प्रेषक :

बालामुरुगन डी., भा. प्र. से.

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक,

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त- सह- उपाध्यक्ष,

जिला जल एवं स्वच्छता समिति,

लोहिया स्वच्छ बिहार योजना,

बिहार ।

विषय : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना एवं गंगा कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का जिलावार व्यय विवरणी का राज्य खाते से मिलान के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक BRLPS/LSBA/Accts/68/18/99 दिनांक 08-05-2018 के क्रम में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का जिलावार व्यय विवरणी का राज्य खाते से मिलान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तरीय टीम प्रमंडल स्तर पर जिला मुख्यालय कार्यालय निर्धारित तिथि को उपलब्ध रहेगी । सम्बंधित प्रमंडल के अंतर्गत आच्छादित सभी जिलों के वरीय लेखा पदाधिकारी /लेखा पदाधिकारी/ लेखापाल अपने अपने जिले से सम्बंधित निम्नांकित अभिलेखों के साथ इस कार्य हेतु उक्त अवधि में उपस्थित होंगे :

- (१) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला / प्रखण्ड स्तर पर किये गए व्यय का समेकित विवरणी; (व्यय विवरणी का प्रपत्र पत्रांक BRLPS/LSBA/Accts/68/18/99 दिनांक 08-05-2018 के द्वारा प्रेषित की गयी है तथा इसकी प्रति दिनांक 15-05-2018 को संपन्न समीक्षा बैठक में सभी जिला समन्वयको को हस्तगत करायी गयी है)
- (२) जिला स्तर पर खोले गए बैंक खातों का दिनांक 31-03-2018 (यदि अब तक बंद नहीं किये गए हों) अथवा यदि बंद किये गए हों तो अंतिम तिथि तक का बैंक विवरणी, बैंक द्वारा अंतिम अवशेष का प्रमाण पत्र तथा बैंक समाधान विवरणी की प्रति ;
- (३) वित्तीय वर्ष 2017-18 का रोकड़ वही (Cash Book)
- (४) दिनांक 31-03-2018 तक असमायोजित अग्रिम विवरणी (नाम / संस्थावार)



(५) वित्तीय वर्ष 2016-17 का अंकेक्षित प्राप्ति एवं भुगतान खाता की सत्यापित प्रति, अंकेक्षको की द्वारा दी गयी टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन / कारवाई प्रतिवेदन एवं विहित प्रपत्र में प्रबंधन घोषणा पत्र (इसकी प्रति इस कार्यालय के पत्रांक BRLPS/LSBA/Accts/60/18/666 दिनांक 08-02-2018 के द्वारा आपको प्रेषित की गयी थी (दिनांक 17-02-2018 को संपन्न बैठक में हस्तगत)

जिलावार व्यय विवरणी का राज्य खाते से मिलान हेतु प्रमंडलवार निम्नांकित रूप से तिथियों का निर्धारण किया गया है :

| प्रमंडल मुख्यालय | जिलों की संख्या | जिलों का नाम                                                            | मिलान हेतु निर्धारित तिथि                 |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| पटना             | 6               | पटना, नालंदा, भोजपुर , रोहतास , बक्सर , कैमूर(भभुआ)                     | दिनांक 04-06-2018 से<br>दिनांक 06-06-2018 |
| मुजफ्फरपुर       | 6               | मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चम्पारण, शिवहर , सीतामढ़ी, एवं वैशाली | दिनांक 11-06-2018 से<br>दिनांक 13-06-2018 |
| सारण (छपरा)      | 3               | सारण, सिवान एवं गोपालगंज                                                | दिनांक 14-06-2018 से<br>दिनांक 15-06-2018 |
| दरभंगा           | 3               | दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर                                            | दिनांक 18-06-2018 से<br>दिनांक 19-06-2018 |
| कोशी(सहरसा)      | 3               | सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल                                                | दिनांक 21-06-2018 से<br>दिनांक 22-06-2018 |
| पूर्णिया         | 4               | पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज                                    | दिनांक 27-06-2018 से<br>दिनांक 29-06-2018 |
| मुंगेर           | 6               | मुंगेर, जमुई, खगरिया, लखीसराय , बेगुसराय एवं शेखपुरा                    | दिनांक 05-07-2018 से<br>दिनांक 07-07-2018 |
| भागलपुर          | 2               | भागलपुर एवं बाँका                                                       | दिनांक 09-07-2018 से<br>दिनांक 10-07-2018 |
| मगध(गया)         | 5               | गया, नवादा, औरंगाबाद, अरबल एवं जहानाबाद                                 | दिनांक 16-07-2018 से<br>दिनांक 18-07-2018 |

(क) उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार लेखा मिलान के कार्यक्रमों के संपादन में सम्बंधित प्रमंडल के मुख्यालय जिला के उप विकास आयुक्त के निर्देशन में वरीय लेखा पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक की भूमिका अहम् होगी तथा उन्हें आच्छादित अन्य जिलो से समन्वयन के साथ जिला मुख्यालय में इस कार्य हेतु एक उपयुक्त कमरा एवं सभी प्रतिभागियों के लिए दिन का भोजन, चाय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा । सभी आगंतुक प्रतिभागी अपने आवासन की व्यवस्था स्वयं करेंगे तथा अपना यात्रा भत्ता अपने पदस्थापन जिले से लेंगे ।

(ख) इस लेखा मिलान के कार्यक्रम में जीविका से सम्बंधित जिले के वित्त प्रबंधक , लेखापाल एवं प्रबंधक (एच. एन.) भी शामिल होंगे तथा जीविका के जिला एवं प्रखण्ड स्तर से किये जाने वाले व्यय विवरणी का मिलान करेंगे ।

(ग) सम्बंधित प्रमंडल के मुख्यालय जिला के जीविका कार्यालय के वित्त प्रबंधक एवं एक कुशल लेखापाल लेखा मिलान के इस कार्य में राज्य टीम को मिलान कार्य अवधि में पूर्ण कालिक सहयोग करेंगे ।

अतः अनुरोध है, कृपया वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा तैयार करने की इस प्रक्रिया में प्रथम प्राथमिकता के आधार जिले की सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि निर्धारित अवधि के अन्दर वार्षिक अंकेक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा सके ।

सधन्यवाद ।

विश्वासभाजन

ह०/

(बालामुरुगन डी.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-  
सह- मिशन निदेशक,

जापांक BRIPS-LSBA/ACcts/60/18/132

दिनांक 19.05.2018

प्रतिलिपि :

1. जिला समन्वयक (LSBA), सभी जिलें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित
2. जिला परियोजना प्रबंधक / वित्त प्रबंधक जीविका , सम्बंधित जिले को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ -प्रेषित ।
3. जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, सभी जिलें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित
4. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(बालामुरुगन डी.)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-  
सह- मिशन निदेशक,